न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 89/2022 निर्णय दिनांक :– 30.09.2022

उनवानी दावा :

1. रामप्रसाद पुत्र मोहन जाति ब्राहम्ण निवासी मुगलाना हाल निवास दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. रूकमणी पत्नी रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मुगलाना हाल निवास दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

– वादीगण –

बनाम

1. गीता पत्नि स्व0 पदमकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मुगलाना तहसील दूनी, जिला–टोंक राज.।
2. जान्हवी पुत्री स्व0 पदमकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मुगलाना तहसील दूनी, जिला–टोंक राज.।
3. बाबूलाल पुत्र रामराय जाति ब्राहम्ण निवासी मुगलाना तहसील दूनी, जिला–टोंक राज.।
4. यश पुत्र पदम कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी मुगलाना तहसील दूनी, जिला–टोंक राज.।
5. सुशीला पत्नी रामअवतार जाति ब्राहम्ण निवासी मुगलाना तहसील दूनी, जिला–टोंक राज.।
6. तहसीलदार दूनी जिला–टोंक राज.।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता वादीगण

श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5

वाद विभाजन आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/ अन्तिम डिक्री पेश हुई। पारित निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 23.08.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि वाके ग्राम बासखेड़िया पटवार हल्का मुगलाना भू. अभि. नि. क्षैत्र घाड़ की जमाबंदी

...2073–76 के खाता संख्या 71 में दर्ज ख. नं. 10 रकबा 0.16 है0 व ख. नं. 11 रकबा ... बारानी 1 तहसील दूनी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। ...दार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:–

ग्राम बासखेड़िया पटवार हल्का मुगलाना भू. अभि. नि. क्षैत्र घाड़ की जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 71 में दर्ज ख. नं. 10 रकबा 0.16 है0 व ख. नं. 11 रकबा 3.36 बारानी 1 तहसील दूनी में हिस्सा निम्न प्रकार रहेगा:–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	रामप्रसाद पुत्र मोहन हि. 1/2 रूकमणी देवी पत्नी रामप्रसाद हि. 1/2 राहिन बी.आर.के. जी.बी शाखा दूनी जाति ब्राहम्ण सा. मुगलाना खातेदार नक्शा ट्रेस में हल्का गुलाबी रंग से दर्शित	10 मिन	0.1067	बारानी 1	0.90
		11 मिन	2.2400	बारानी 1	17.92
	योग	किता–2	2.3467	बारानी 1	18.82
2	बाबू लाल पुत्र रामराय जाति ब्राहम्ण सा. देह मुगलाना खातेदार नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित	10 मिन	0.0321	बारानी 1	0.26
		11 मिन	0.6720	बारानी 1	5.382
	योग	किता–2	0.7041	बारानी 1	5.64
3	गीता पत्नी स्व. पदमकुमार 1/3 जान्हवी पुत्री पदमकुमार 1/3 यश पुत्र पदमकुमार 1/3 जाति ब्राहम्ण सा. देह मुगलाना खातेदार नक्शा ट्रेस में हल्के नीले रंग से दर्शित	10 मिन	0.0106	बारानी 1	0.06
		11 मिन	0.2240	बारानी 1	1.79
		किता–2	0.2346	बारानी 1	1.85
4	सुशीला पत्नी स्व. रामावतार जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार मुगलाना खातेदार नक्शा ट्रेस में कथई रंग से दर्शित	10 मिन	0.0106	बारानी 1	0.06
		11 मिन	0.2240	बारानी 1	1.79

Scanned with CamScanner

	किता–2	0.2346	बारानी 1	1.85

संलग्न :– तहसीलदार दूनी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार दूनी उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

देवली